न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–सर्वेश्वर निम्बार्क आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–86 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बालकाराम पुत्र गोपाराम 2. आदाराम पुत्र गोपाराम 3. अमेदाराम पुत्र गोपाराम जाति राईका निवासी ऊँचिया दाखा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. गीगाराम पुत्र प्रागाराम 2. बांकाराम पुत्र प्रागाराग 3. मोकुदेवी पुत्री बगताराम 4. जोगाराम पुत्र जेठाराम 5. धनाराम पुत्र जेठाराम 6. पीराराम पुत्र जेठाराम 7. बुधाराम पुत्र जेठाराम जाति राईका निवासी ऊँचिया दाखा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 8. तहसीलदार सिणधरी 9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा दांखा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता वादीगण।

प्रतिवादी स. 08 के पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 12.02.2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 130, 1803/214 व 219 कुल रकबा 16.9242 हैक्टेयर मौजा उंचिया तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त पक्षकार मुतवफी हबता जी के वंशज है, जिनके दो पुत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्व पुरूष भीमाराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के पितामह राजाराम थे। जिनका बंदोबस्त से पूर्व लगातार निस्फानिस्फ कब्जाकास्त था। भीमाराम एवं राजाराम बंदोबस्त से पूर्व फौत हो चुके थे। बंदोबस्त के समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता प्रागाराम व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पिता ने वादग्रस्त भूमि का नाम करवाया था। भीमाजी के परिवार का प्रागाराम कर्ताखानदान था। उन्होंने वादीगण के पिता का नाम छोड़कर भीमाराम के शेष तीन पुत्रों अणदाराम, बगता व स्वयं का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज करवा दिया। इसी ग्राम के खसरा संख्या 213 रकबा 0.2346 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणियों में भीमा के चारों पुत्रों के नाम 1/2 हिस्से में सही रूप से दर्ज हुए थे। तत्पश्चात अणदा के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि प्रागा व बगता की खातेदारी में दर्ज हुई और बाद में बगता के फौत होने पर उसकी पुत्री मौकु के मौजूद होने के बावजूद उसे लाऔलाद फौत बताकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उसके स्थान पर अपने नाम नामांतरकरण दर्ज करवा लिया। मौकु ने धारा 75 आरएलआरएक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी गुढ़ामालानी न्यायालय में अपील दायर करवाकर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया। वक्त बंदोबस्त से गोपाराम का एवं उसके बाद वादीगण का अपने हिस्सा अनुसार वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में बतौर सहखातेदार अपना नाम दर्ज करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अपने कब्जाकास्त में दखलंदाजी नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया।

वाद पंजियन कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से गवाह बालकाराम पी.डब्लू 01, आदाराम पी.डब्लू 02, तुलछाराम पी.डब्लू 03, लुम्बाराम पी.डब्लु 04 एवं हेमाराम पी.डब्लू 05 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–01 जमाबंदी खाता संख्या 147 संवत् 2076–79, प्रदर्श पी–02 खसरा नक्शा खाता संख्या 147 संवत् 2076–79, प्रदर्श पी–03 जमाबंदी खसरा संख्या 213 संवत् 2076–79, प्रदर्श पी–04 खसरा नक्शा खसरा संख्या 213, प्रदर्श पी–05 जमाबंदी खसरा संख्या 214, 219, 130 संवत् 2013–16 की जमाबंदी, प्रदर्श पी–06 जमाबंदी खसरा संख्या 113, प्रदर्श पी–07 खसरा संख्या 213 संवत् 2039–42 की जमाबंदी, प्रदर्श पी–08 नामांतरकरण संख्या 833, प्रदर्श पी–09 नामांतरकरण संख्या 585, प्रदर्श पी–10 जमाबंदी संवत् 2060–63 खसरा संख्या 213, प्रदर्श पी–11 जमाबंदी खसरा संख्या 213 संवत् 2062–65, प्रदर्श पी 12 जमाबंदी खसरा संख्या 213 संवत् 2066–69, प्रदर्श पी–13 जमाबंदी खसरा संख्या 213 संवत् 2070–73, प्रदर्श पी–14 जमाबंदी खसरा संख्या 213–2074–77, प्रदर्श पी–15 जमाबंदी खसरा संख्या 214, 219, 130 संवत् 2013–16, प्रदर्श पी–16 जमाबंदी खसरा संख्या 213 संवत् 2013–16, प्रदर्श पी–17 खतौनी बंदोबस्त खसरा संख्या 214, 219, 130, प्रदर्श पी–18 खतौनी बंदोबस्त खसरा संख्या 213, प्रदर्श पी–19 वर्तमान जमाबंदी खसरा संख्या 213 संवत् 2076–79, प्रदर्श पी–20 वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 295 संवत् 2076–79, प्रदर्श पी–21 वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 147 संवत् 2076–79 पेश किए गए। इसके साथ श्रीमान सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

गुड़मालानी मुकदमा संख्या 05/2009 अनवान मकु बनाम सरपंच ग्राम पंचायत दाखां की ऑडरशीट एवं आदेश दिनांक 11.12.2009 की फोटोप्रति प्रस्तुत किए गए।

तहसीलदार सिणधरी से वाद के तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट ली गई।

दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मुतवफी हबता जी के वंशज है, जिनके दो पुत्र – वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्व पुरुष भीमाराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के पूर्व पुरुष जेठाराम– थे। बंदोबस्त रेकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि उक्त पक्षकारान के पुश्तैनी हक की है। प्रागाराम, जो कि भीमाराम के कर्ताखानदान थे, ने बंदोबस्त रेकॉर्ड दर्ज करने के दौरान अपने साथ अपने दो भाईयों अणदाराम व बगदाराम का नाम दर्ज करवा दिया, किन्तु वादीगण के पिता गोपाराम का नाम छोड़ दिया। वक्त बंदोबस्त से वादग्रस्त भूमि पर अपने वास्तविक हिस्सानुसार गोपाराम का और गोपाराम के बाद उनके पुत्रों–वादीगण–का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होती है। अतः वादीगण स्वयं को भीमाराम के अन्य वारीसान के साथ सहखातेदार की हैसियत से राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज करवाने के अधिकारी है।

हमने विद्वान वकील वादीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहान के शपथ पत्रों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र में अंकित वंश वृक्ष से स्पष्ट है कि पक्षकार एक ही वंश के सदस्य है तथा बंदोबस्त रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि उनकी पुश्तैनी है। यद्यपि वादपत्र में वादीगण ने एवं गवाहान् ने अपने शपथ पत्र में अणदाराम के लाऔलाद फौत होने का उल्लेख किया है। तथापि जमाबंदी प्रदर्श पी–03 के अनुसार अणदाराम की छः पुत्रियां है जो बतौर खातेदार ग्राम उंचिया की खसरा संख्या 213 की जमाबंदी में दर्ज है। चूंकि वादग्रस्त भूमि से 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 से 7 अपना हिस्सा पृथक करवा चुके है। अतः शेष वादग्रस्त भूमि में भीमाराम के चारों पुत्रों के वारिसान का हक निहित है। अणदाराम के वारिसान में उसकी छः पुत्रियां– छोगी, तुलछी, मंगली, मेही, राजू व सुखी, बगता की वारिस इकलौती पुत्री मौकु, प्रागाराम के वारिसान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गीगाराम व बांकाराम तथा गोपाराम उर्फ गैंपाराम के वारिसान में वादीगण है। जमाबंदी प्रदर्श पी–03 में वादीगण के नाम गोपाराम के पुत्रों की हैसियत से दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के बंदोबस्त रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटि से गोपाराम का नाम छुटा है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त होने की पुष्टि होती है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहान् ने अपने शपथ पत्रों में गोपाराम के भीमाराम के पुत्र होने तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जाकास्त होने की ताईद की है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में बहैसियत वारिस अणदाराम उसकी पुत्रियों तथा बहैसियत वारिस गोपाराम वादीगण का पुश्तैनी हक है।

सहा. कलक्टर
SDO सिणधरी

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम उंचिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 2072/1803, 2073/1803, 2075/130 व 2072/219 कुल रकबा 8.4621 हेक्टेयर भूमि में छोगी, तुलछी, मंगली, मेही, राजू सुखी, पुत्रियां अणदा एवं वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, वादीगण प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा तथा अणदाराम की प्रत्येक पुत्री का 1/24–1/24 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण के कब्जाकास्त में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी